मुकाम

बनाम

जिला मुकदमा 1113 नं. 8 वर्ष 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/7/18	वादकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वादी के वकील श्री [illegible] द्वारा तथ्यों को सुना गया। प्रतिवादीगण की तथ्यों को सुन कर मामले वादकर्ता के पक्ष में जारी पत्रावली को तथ्यों/आदेश [illegible] 26.6.18 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)	राजस्व लोक अदालत [illegible] 2018
26-6-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत के समक्ष जलीन्द्री पर प्रस्तुत। वादी लाड़ उपस्थित। जिनकी पहचान [illegible] ग्राम पंचायत जलीन्द्री के दो वादीगण के प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हक हकवार की नकल लाना चाहते थे कार्यवाही बंद की जावे। प्रार्थनापत्र शामिल पत्रावली करवाया गया। वादीगण द्वारा कार्यवाही नहीं चाहते है पत्रावली के कार्यवाही बंद की जाती है। नकल के हक होकर [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत-जलिन्द्री पं.स. बिजौलियां उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)	16 [illegible] लाड